11/5/17 पत्रावली न्याय आपके इजार/ बेन्च कोर्ट में प्रस्तुत हुई। मूल वाद खारिज होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली कैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो/ दाखिल दफ्तर हो

d